न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –54/2015
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2015/00028

अपीलान्टस्	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. भागीरथ पुत्र जयराम जाति विश्नोई 2. शंकरलाल पुत्र जयराम जाति विश्नोई 3. मामराज पुत्र जयराम जाति विश्नोई 4. हराराम पुत्र जयराम जाति विश्नोई 5. परसाराम पुत्र जयराम जाति विश्नोई निवासीगण कुड़छी तहसील खींवसर जिला नागौर राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर (नागौर) 2. सरकार जरिये पटवारी हल्का कुड़छी तहसील खींवसर।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट्स की ओर से वकील श्री बाबूलाल खोजा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक** 30-1-2023

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा प्रकरण संख्या–05/2015 सरकार बनाम भागीरथ वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.03.2015 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट्स की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में निगरानी एल.आर./1681/2015 नागौर भागीरथ व अन्य बनाम सरकार में मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2022 की पालना में खसरा नम्बर 2442/436 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. रास्ता की भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं अब मौके पर रास्ता पूर्ण रूप से खुला होने एवं रास्ते का आवागमन के लिए उपयोग उपभोग किया जा रहा है, इस बाबत सभी अपीलान्ट्स एवं दो गवाह पांचाराम व हरिराम के शपथ पत्र एवं मौके पर रास्ता खुला होने बाबत मौके के दो फोटोग्राफ न्यायालय हाजा में दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत कर दिये है। उक्त संबंध में तहसीलदार खींवसर से भी न्यायालय हाजा द्वारा रिपोर्ट चाही गई थी, जिसके संबंध में तहसीलदार खींवसर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में मौके पर रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने एवं रास्ते पर आवागमन सुचारू रूप से चालू होने की रिपोर्ट की है तथा मौके पर उपस्थित दो मौतबिरान के शपथ पत्र एवं रास्ते के फोटो उक्त रिपोर्ट के साथ भिजवाये है। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा विवादग्रस्त रास्ते की भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है, इसलिए प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने भी अपीलान्टस् द्वारा हस्तगत प्रकरण में विवादग्रस्त रास्ते की भूमि पर से अपीलान्टस् द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया है, जिसकी ताईद तहसीलदार खींवसर से प्राप्त रिपोर्ट से भी होती है। इसलिए निगरानी एल.आर./1681/2015 नागौर भागीरथ व अन्य बनाम सरकार में मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2022 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में

कलक्टर नागौर

अपीलान्टस् की सिविल कारावास की सजा का आदेश अपास्त करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध में निगरानी/एल.आर./1681/2015/नागौर भागीरथ व अन्य बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 04.05.202 से न्यायालय हाजा को निर्देश दिये है कि ***"जिला कलक्टर नागौर को यह निर्देश देना उचित समझते है कि वे विवादित भूमि पर यदि प्रार्थीगण अपना अतिकमण हटाकर उस अतिकमण को हटाये जाने बाबत अपना शपथ पत्र और अतिकमण हटाने के फोटोग्राफ प्रस्तुत करे व अधिनस्थ न्यायालय उसकी जॉच व सत्यापन करने के पश्चात प्रार्थीगण की सिविल कारावास की सजा स्थगित/समाप्त करने के संबंध में विचार कर सकते है।"***

उक्त निर्णय दिनांक 04.05.2022 की पालना में सूची दस्तावेज के साथ अपीलान्ट भागीरथ, शंकरलाल, मामराज, हराराम, परसाराम पुत्रगण जयराम जाति विश्नोई निवासी कुड़छी तहसील खींवसर जिला नागौर ने खसरा नम्बर 2442/436 रकबा 15 बिस्वा गै.मु. रास्ता मौजा कुड़छी पर अपीलान्टस् का कोई किसी तरह का कब्जा काश्त एवं अतिकमण नहीं होने एवं उक्त रास्ते की भूमि से अपीलान्टस् द्वारा अपना सम्पूर्ण कब्जा पूर्ण रूप से हटा लिये जाने एवं रास्ता आवागमन के लिए खुला होने बाबत उक्त प्रत्येक अपीलान्ट ने स्वंय का पृथक–पृथक नोटरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र तथा अपीलान्टस् द्वारा शपथ पत्र में किये गये कथनों की ताईद में ग्राम के दो अन्य व्यक्तिं श्री पांचाराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई व हरिराम पुत्र बादरराम जाति विश्नोई निवासीगण ग्राम कुड़छी तहसील खींवसर जिला नागौर के पृथक–पृथक दो नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र एवं मौके के दो फोटोग्राफ न्यायालय हाजा में दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुत किये।

उक्त संबन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 04.05.2022 में प्रदत्त निर्देशों के कम में अपीलान्टस् एवं ग्राम के दो अन्य व्यक्तियों के मूल शपथ पत्र एवं मूल फोटोग्राफ तथा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 04.05.2022 की प्रति, तहसीलदार खींवसर द्वारा प्रकरण संख्या–5/2015 सरकार बनाम भागीरथ वगैरह अधीन धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 24.03.2015 की प्रति भेजकर विवादित भूमि पर से अपीलान्टस् द्वारा अतिकमण हटा लिये जाने बाबत जॉच कर सत्यापन रिपोर्ट एवं अपीलान्टस् एवं ग्राम के दो अन्य व्यक्तियों के मूल शपथ पत्र एवं मूल फोटोग्राफ सहित भिजवाने हेतु तहसीलदार खींवसर को पत्र कमांक–1744 दिनांक 12.10.22 से निर्देशित किया गया। तहसीलदार खींवसर ने अपने पत्रांक–83 दिनांक 22.11.2022 से रिपोर्ट प्रेषित कर मौके पर रास्ते पर किसी प्रकार का अतिकमण नहीं होने एवं रास्ते पर आवागमन सुचारू रूप से चालू होने की रिपोर्ट की है तथा मौके पर उपस्थित दो मौतबिरान के शपथ पत्र एवं रास्ते के फोटो उक्त रिपोर्ट के साथ भिजवाये है।

इस प्रकार वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र आदि एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्टस् द्वारा विवादग्रस्त रास्ते की भूमि पर से अतिकमण हटा लिया जाना स्पष्ट होता है। अतः अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा के संबंध में नरमी का रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 24.03.2015 से अपीलान्टस् को तीन माह के सिविल कारावास देने के आदेश को अपास्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर

नागौर (राजस्थान)